न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर
(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 99/11 (130/02) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राज0 सरकार द्वारा जिलाधीश, अलवर जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर ।

:–––अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1 हेतराम पुत्र नानचा जाति गूजर
2 इन्द्राज पुत्र नानचा जाति गूजर (फौत)
2/1 सीताराम पुत्र इन्द्राज जाति गूजर
3 मु0 अंगूरी बेवाह नानचा जाति गूजर
निवासी ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर (फौत)
3/1. ईमरती पत्नी रामसिंह पुत्री नानचा निवासी जलालपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

:––– रेस्पो0/वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
दिनांक 31.5.2001

स्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद यादव (जी0 ए0)
2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री पंकज कुमार शर्मा

31/10

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 31.10.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 2/1996 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2001 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 88 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा हाल नम्बर 111 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, 112 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 113 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, 114 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, 115 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, 116 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 436 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 439 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 440 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 441 रकबा 15 बिस्वा, 110 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम चूड़ला तहसील मुण्डावर के 1/3 भाग पर वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार है । इस आराजी के 1/3 भाग पर वादीगण के पिता मृतक नानचा काबिज खातेदार रहे हैं । बाकी आराजी पर अन्य सह खातेदारान काबिज काश्त रहे है । राजस्व रेकार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम बंदोबस्त से पूर्व रेकार्ड में दर्ज हो रहा था । इस विवादित आराजी का वादीगण व सह खातेदारान का आपसी बाहमी बंटवारे में खसरा नम्बर 114/7–15, 439/2–10, 440/2–15, 441/0–15 में समस्त रकबा, 110/4–15 का 1/3 भाग एवं 115/8–5 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि हिस्से में आई है । वादीगण विवादित आराजी पर आर0 टी0 एक्ट एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं लागू होने के दिन और आज तक काबिज काश्त है । इसलिये वादीगण को कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । वादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012, 2016 में सदैव काश्त में रही है, कभी पडत नहीं रखी है, हमेशा से कब्जे काश्त में रही है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में इसे खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सिवायचक दर्ज कर दिया, जो गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय

31/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

द्वारा उक्त वाद पत्र रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर डिक्री किया है, जिसकी राज्य सरकार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3 अपीलांट राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक है तथा काश्त योग्य नहीं है । गैर मुमकिन बेहड जमीन में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । रेस्पो0/वादीगण का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वादी का जायज कब्जा है । कानून के विपरीत कब्जा होने से अतिक्रमी से पैनेल्टी भी वसूल की है । सरकारी भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने निर्णय के समय इस बात पर गौर नहीं किया तथा गलत तौर पर वाद वादी डिक्री कर दिया । बहस में यह भी कहा कि तहत अदालत ने उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया । देरी माफी के लिए कहा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय से डिले को कंडोन कर दिया ।

अपीलांट अभिभाषक ने अपील बहस में अपने अपील के तथ्यों को दोहराया और कहा कि अपील रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर स्वीकार योग्य है । अतः अपील स्वीकार करें और तहत अदालत का निर्णय निरस्त करें ।

4 रेस्पो0/वादीगण के अभिभाषक ने अपने जवाब में अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा साबिक रेकार्ड व साक्ष्य के आधार पर तहत अदालत द्वारा जारी की गई डिक्री के विधिसम्मत व कानूनन सही बताया । रेस्पो0 ने अपनी ओर से मौखिक बहस करते हुये लिखित बहस भी पेश की है ।

सर्वप्रथम रेस्पो0/वादी के अभिभाषक ने अपील के तथ्यों का विरोध किया और कहा कि तहत अदालत ने वादी के वाद का निर्णय 31.5.2001 को ही कर दिया, जिसकी देरी के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है । यधपि मान0 राजस्व मण्डल ने डिले को कंडोन कर दिया है । बहस जवाब मेंकहा कि सरकार को प्रकरण में नियमानुसार तलब किया गया । तहसीलदार उपस्थित भी आये, पर न तो जवाब ही प्रस्तुत किया और ना ही साक्ष्य । अतः ऐसी स्थिति में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही सही की है । अपील में अब सरकार यह नहीं कह सकती है कि तहत अदालत ने उन्हें सुना ही नहीं है । अपीलांट की बहस व अपील के इन बिन्दुओं का विरोध रेस्पो0 अभिभाषक ने किया कि यह जमीन पडत रही है, काबिल काश्त नही थी । बल्कि कहा कि साबिक रेकार्ड यह सिद्ध करता है कि विवादित भूमि पर वादी/रेस्पो0 की

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

काश्त थी । बंदोबस्त विभाग ने इसे गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया । सम्वत 2012, 2016 में रिकार्ड में वादी/रेस्पो0 के पिता नानचा का नाम खातेदार के रूप में अंकित है ।

रेस्पो0/वादी अभिभाषक ने तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री का हवाला देते हुये कहा कि विवादित आराजी पर सम्वत 2012, 2016 में वादी के पिता नानचा व अन्य का साबिक जमाबंदियों राजस्व रेकार्ड में अमल हो रहा है । साबिक रेकार्ड का अवलोकन कराया । आगे कहा कि बंदोबस्त विभाग का उसके बाद कार्य चालू हुआ और सम्वत 2029 में बंदोबस्त पूर्ण होने पर बंदोबस्त विभाग ने खिलाफ मौका और खिलाफ कानून विवादित आराजी को सिवायचक पडत, बेहड दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर हमेशा ही उनकी काश्त रही है । कब्जे काश्त के सम्बन्ध में साबिक रिकार्ड का हवाला दिया और आगे कहा कि बंदोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी की आराजी और उसकी किस्म को बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उसे पूर्व के इन्द्राज बदस्तूर रखने होते हैं । इस सम्बन्ध में वकील रेस्पो0 ने तहत अदालत में प्रस्तुत की गई नजीरों 1999 आर0 आर0 डी0 पेज 429 (3), 1988 आर0 आर0 डी0 पेज 420, 1999 आर0 आर0 डी0 पेज 05, ए0 आई0 आर0 1971 पेज 2299 (6), ए0 आई0 आर0 1994 पेज 240, आर0 आर0 डी0 पेज 231 का हवाला दिया ।

बहस जवाब में आगे कहा कि विवादित आराजी को बंदोबस्त के द्वारा सिवायचक दर्ज करने के बाद भी उनके द्वारा नियमित पैनेल्टी जमा कराई जाती रही है तथा तहसीलदार मुण्डावर ने स्वयं उक्त आराजी को वादीगण के पक्ष में नियमित करने की सिफारिश की है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह जमीन वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है, जिसे बंदोबस्त विभाग ने दौराने बंदोबस्त खिलाफ कानून व मौका सिवायचक पडत/बेहड दर्ज कर दी है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता नानचा व अन्य का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय कब्जा काश्त था तथा उनकी हिस्से अनुसार खातेदारी में था तो नियमानुसार उनको स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । आगे कहा कि उक्त आराजी पर अन्य को

3/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

खातेदारी प्राप्त हो चुकी है, केवल उनके हिस्से की आराजी को बंदोबस्त विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया ।

अन्त में बहस जवाब में वादी/रेस्पो0 के अभिभाषक ने कहा कि विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र वादीगण के पिता व अन्य की सम्वत 2012, 2016 में खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है तथा नियमित काश्त की है । काश्त योग्य रिकार्ड की नकले प्रस्तुत की है । अतः बंदोबस्त विभाग ने खातेदारी की जमीन को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है, जिसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है । राजस्व न्यायालय से यदि ऐसे प्रकरणों में खातेदारी प्राप्त नहीं होगी तो काश्तकार क्या कर पायेगा । अतः तहत अदालत के विधिसम्मत निर्णय को यथावत रखने तथा अपीलांट की अपील को खारिज करने की इस्तदुआ की ।

5 हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों तथा तहत अदालत में पेश वाद के तथ्यों एवं तहत अदालत में पेश साबिक व हाल रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में तहत अदालत के निर्णय दिनांक 31.5.2001 का अवलोकन किया । साथ ही वादी/रेस्पो0 अभिभाषक की कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

6 अपील और वाद वादी के अपने अपने तर्क व आधार है । जहां तक वादी का प्रश्न है, विवादित आराजी पर सम्वत 2012, 2016 में खातेदारी के कॉलम में 1/3 हिस्से के रूप में दर्ज रिकार्ड दर्ज होने तथा कब्जा काश्त होने के आधार पर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी चाही है तथा खातेदारी के इन्द्राजों को बदलकर बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज रिकार्ड करने को निरस्त करने और खातेदार काश्तकार घोषित कराने की इस्तदुआ चाही है । तहत अदालत ने इन्हीं आधारों पर वाद वादी डिक्री किया है । अपील में अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा काबिल काश्त नहीं है । बंदोबस्त विभाग ने मौके के आधार पर रिकार्ड में सही अंकन किया है । अतः वादी को सिवायचक जमीन पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । तहत अदालत ने वाद को गलत डिक्री किया है, जिसे निरस्त किया जावे ।

7 हमने उक्त दोनों बिन्दुओं के आधार पर रिकार्ड का अवलोकन किया । तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया और बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने

4/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बंदोबस्त किये गये रिकार्ड अंकन का कानूनी रूप से परीक्षण किया । तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि आदेशिका दिनांक 7.10.97 से रजिस्टर्ड ए0 डी0 से जिलाधीश सरकार को तामील हुई । दिनांक 29.10.97 को पैरोकार सरकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । आदेशिका दिनांक 23.2.1999 के अनुसार पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, मुण्डावर अदालत में उपस्थित आये । दिनांक 16.5.2001 की आदेशिकानुसार पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं । उनकी ओर से उपस्थिति दरख्वास्त खारिज की गई । अग्रिम कार्यवाही वादी के पक्ष में एकतरफा की गई । दिनांक 31.5.2001 को निर्णय पारित किया गया । उपरोक्त अवलोकन से अपीलांट का यह कथन कि उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है, तर्कसंगत नहीं है ।

8 जहां तक प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण का प्रश्न है, मिलानक्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 111/3–07 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/3–07, हाल खसरा नम्बर 112/6–10 बीघा का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/6–10 बीघा, हाल खसरा नम्बर 113/8–18 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/8–18, 114/7–15 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/7–15, हाल खसरा नम्बर 115/8–05 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/8–05, हाल नम्बरन 116/3–13 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/3–13, हाल खसरा नम्बर 436/1–05 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/1.05, हाल खसरा नम्बर 439/2–10 का साबिक नम्बर 88 मिन/2–10, हाल खसरा नम्बर 440/3–15 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/3–15, हाल खसरा नम्बर 441/0–15 का साबिक खसरा नम्बर 88 मिन/0–15, हाल खसरा नम्बर 461/0–07 का साबिक खसरा नम्बर 354/0–07, हाल खसरा नम्बर 110/4–18 का साबिक खसरा नम्बर 87/4–18 से बीघा बनाये गये हैं ।

साबिक रिकार्ड जमाबंदियात सम्वत 2012, 2016 एग्जिविट पी–2 एवं एग्जिविट पी–3, नकल बंदोबस्त खतौनी सम्वत 2029 एग्जिविट पी–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 एग्जिविट पी–5, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल एग्जिविट पी–1 प्रस्तुत की है । साबिक रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2012, 2016 खाता संख्या 13 पुरानी खेवट संख्या 101 के कॉलम संख्या 4 में (भूमि अधिकारी का विवरण) ननचा 1/3 हिस्सेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा कॉलम संख्या 6 में खसरा नम्बर 87 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा बंजड कदीम, खसरा नम्बर

31/10

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

88 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन बेहड, खसरा नम्बर 354 रकबा 07 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है । इसी में कॉलम संख्या 4 में ही खाता संख्या 11 की आराजी का हवाला है,जिसमें खसरा नम्बर 89 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 12.17 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 10.04 बीघा, खसरा नम्बर 350/1 रकबा 4.01 बीघा, खसरा नम्बर 353 रकबा 8.15 बीघा, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 3.12 बीघा किता 9 कुल रकबा 43.10 बीघा खुदकाश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड है । खाता संख्या 13 के साबिक खसरा नम्बर 87, 88, 354 पर मालिकों (कॉलम संख्या 4) का ही कब्जा है । साबिक जमाबन्दी सम्वत 2016 के अनुसार खाता संख्या 13 के साबिक खसरा नम्बर 87, 88, 354 दर्ज रिकार्ड है, जिसमें आराजी कब्जा पडत व काश्त के रूप में कॉलम संख्या 12 में अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 14 के साबिक खसरा नम्बर 91, 94 में आराजी गैर मुमकिन बेहड व बंजड कदीम है, जिस पर सम्बन्धित खुद काश्त कर्ता फूलिया वल्द दुन्नी गूजर को खातेदारी प्राप्त हुई है । यही अंकन सम्वत 2016 की जमाबन्दी में अंकित है ।

इस प्रकार से साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012 एग्जिविट पी–2 खाता संख्या 13 व 11 में साबिक खसरा नम्बर 87, 88 व 354 के छीतरिया 1/3 हिस्से का, लक्ष्मी वगैरा 1/3 भाग का एवं ननचा 1/3 हिस्से के खातेदार मालिक रूप में दर्ज रिकार्ड है । यही अंकन इन्हीं खसरा नम्बर 87, 88 व 354 पर जमाबन्दी सम्वत 2016 एग्जिविट पी–3 में दर्ज रिकार्ड है । उक्त आराजी पर कब्जा तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 रहा है, जिसमें वादी/रेस्पो0 के कथनानुसार तीनों ने 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया था, जिसमें अन्य दो हिस्सेदारों को तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त हो चुकी है तथा वादी रेस्पो0 के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को कानून के विरूद्ध व मौके के विपरीत बंदोबस्त विभाग ने सिवायचक दर्ज रिकार्ड कर दिया, जो गलत, खिलाफ मौका व कानून है । तथा वादी अभिभाषक के अनुसार तहत अदालत ने वाद वादी सही डिक्री किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरों का हवाला देते हुये उन्होंने आगे कहा कि उक्त डिक्री की पालना में नामांतरकरण संख्या 252 दर्ज कर दिया था ,परन्तु राजस्व अधिकारियों ने

31/10

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उसे तस्दीक नहीं किया । अपील को इसी आधार पर खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

उक्त साबिक रिकार्ड के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि सम्वत 2012 से 2016 की जमाबंदियों में नानचा का 1/3 हिस्सा खातेदार के रूप में अंकित है । जहां तक उक्त आराजी खसरा नम्बर 87, 88 व 354 की किस्म की बात है, मौके पर काश्त भी रही है । और पडत भी रही है । तथा खाता संख्या 14 की साबिक आराजी खसरा नम्बर 91, 94 गैर मुमकिन बेहड व बंजड कदीम पर काश्त अनुसार अन्य को खातेदारी प्रदान की है ।

बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2050 की जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 87, 88 व 354 के नये नम्बर कायम किये हैं । उनके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 87 के नये नम्बर 110 मिन रकबा 2.09 बीघा कायम किये तथा किस्म बारानी दोयम अंकित कर दी । साबिक खसरा नम्बर 88 में से नये खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 3.05 बीघा किस्म बारानी दोयम कायम की तथा सिवायचक खेती के लिए उपलब्ध का अंकन कर दिया । इसी तरह से साबिक खसरा नम्बर 88 में से ही हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 7.15 बीघा किस्म बारानी सोयम कायम की । इसी तरह से साबिक खसरा नम्बर 88 में से ही हाल खसरा नम्बर 439 रकबा 2.10 बीघा किस्म बारानी सोयम कायम की । तथा इन्हें सिवायचक दर्ज रिकार्ड कर दिया । खसरा नम्बर साबिक 88 में से ही हाल नम्बर 111/3–07, 113/8–18, 115/8–05, 440/2–15 कायम करके हाल रिकार्ड में गैर मुमकिन बेहड दर्ज कर दिया, जिसकी किस्म केवल चराई योग्य व झाडी वाले जंगल के रूप में दर्ज है । बंदोबस्त की जमाबन्दी सम्वत 2029 में हाल खसरा नम्बर 110, 112, 114, 116, 436, 439, 441 को सिवायचक व किस्म बारानी दोयम, बारानी सोयम दर्ज रिकार्ड कर दिया । इस प्रकार से यह तो स्पष्ट है कि सम्वत 2012 और 2016 की साबिक जमाबंदियों के राजस्व रिकार्ड इन्द्राजों को बंदोबस्त विभाग ने बदलकर सिवायचक सरकारी जमीन कर दी है, जो विधि व कानूनों के विपरीत है । क्योंकि विभिन्न कानूनों में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि बंदोबस्त विभाग को किसी भी साबिक राजस्व रेकार्ड के इन्द्राजों को बदलने का कानूनी अधिकार नहीं है । और यदि बंदोबस्त विभाग ने इस प्रकार से इन्द्राजों को बदल दिया है तो ऐसे काश्तकार

5/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

राजस्व न्यायालयों के माध्यम से पुनः खातेदारी की घोषणा करवा सकते हैं । वादी ने यह वाद उसी आशय से पेश किया है । तथा तहत अदालत द्वारा इन्हीं आधार पर वादी को साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल नम्बरों पर पुनः सही खातेदार काश्तकार घोषित किया है ।

जहां तक बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त साबिक आराजी की किस्म के आधार पर तथा मौके पर काश्त के आधार पर किस्म बारानी दोयम तथा गैर मुमकिन बेहड का अंकन किया है तो हो सकता है कि दौराने बंदोबस्त कुछ आराजी की मौके पर किस्म गैर मुमकिन बेहड हो, जिस पर डिक्री से खातेदारी दी है, जिसके आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है तो ऐसी स्थिति में इस अपीलीय न्यायालय का मत है कि तहत अदालत द्वारा जिन खसरा नम्बर हाल, जिनकी हाल किस्म गैर मुमकिन बेहड हो, पर डिक्री से दी गई खातेदारी को निरस्त किया जावे । शेष डिक्री को कनून सम्मत होने के कारण यथावत रखा जावे । अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य और आंशिक खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.5.2001 से वादी/रेस्पो0 के पक्ष में जारी की गई डिक्री, जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 114/7–15, 439/2–10, 440/2–15, 441/0–15 समस्त पर व खसरा नम्बर 110/4–18 में से 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 115/8–15 में से 1.10 बीघा रकबे वाके ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं, तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा सम्वत 2029 की जमाबन्दी में खिलाफ कानून सिवायचक सरकारी दर्ज इन्द्राजों को कलमजन करने तथा राजस्व इन्द्राजों को दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं, उसमें से हाल खसरा नम्बर 440/2–15 गैर मुमकिन बेहड, हाल खसरा नम्बर 115/8–05 में से 1.10 बीघा गैर मुमकिन बेहड की डिक्री के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष खसरा नम्बरान हाल 114/7–15, 439/2.10, 441/0–05 की समस्त आराजी तथा खसरा नम्बर 110/4–18 में से 1/3 हिस्से की खातेदारी के डिक्री आदेश को कानूनसम्मत होने से यथावत रखा जाता है । साथ ही तहत अदालत का अन्य निर्णय प्रतिवादीगण को जरिये हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उपरोक्त डिक्री की आराजी से बेदखल नहीं करे और ना

5/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

ही किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को आवंटित करें, यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री उपरोक्तानुसार जारी होकर शामिल मिसल की जावे ।

निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली अदालत को लौटाई जावे । निर्णय की एक प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर, अलवर को भिजवाई जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

31/10/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर
(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

ील संख्या :– 99/11 (130/02) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

वान :– 1. राज0 सरकार द्वारा जिलाधीश, अलवर जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर ।

:———अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

4 हेतराम पुत्र नानचा जाति गूजर
5 इन्द्राज पुत्र नानचा जाति गूजर (फौत)
2/1 सीताराम पुत्र इन्द्राज जाति गूजर
6 मु0 अंगूरी बेवाह नानचा जाति गूजर
निवासी ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर (फौत)
3/1. ईमरती पत्नी रामसिंह पुत्री नानचा निवासी जलालपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

:——— रेस्पो0/वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
दिनांक 31.5.2001

स्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद यादव (जी0 ए0)
2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री पंकज कुमार शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 31.10.2019

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.5.2001 से वादी/रेस्पो0 के पक्ष में जारी की गई डिक्री, जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 114/7–15, 439/2–10, 440/2–15, 441/0–15 समस्त पर व खसरा नम्बर 110/4–18 में से 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 115/8–15 में से 1.10 बीघा रकबे वाके ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं, तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा सम्वत 2029 की जमाबन्दी में खिलाफ कानून सिवायचक सरकारी दर्ज इन्द्राजों को कलमजन करने तथा राजस्व इन्द्राजों को दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं, उसमें से हाल खसरा नम्बर 440/2–15 गैर मुमकिन बेहड, हाल खसरा नम्बर 115/8–05 में से 1.10 बीघा गैर मुमकिन बेहड की डिक्री के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष खसरा नम्बरान हाल 114/7–15, 439/2.10, 441/0–05 की समस्त आराजी तथा खसरा नम्बर 110/4–18 में से 1/3 हिस्से की खातेदारी के डिक्री आदेश को कानूनसम्मत होने से यथावत रखा जाता है । साथ ही तहत अदालत का अन्य निर्णय प्रतिवादीगण को जरिये हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उपरोक्त डिक्री की आराजी से बेदखल नहीं करे और ना ही किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को आवंटित करें, यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री उपरोक्तानुसार जारी होकर शामिल मिसल की जावे ।

31/10/18

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर